प्रेस नोट दिनांक- 15.12.2024

थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली

▶ थाना नौगढ पुलिस टीम द्वारा बिहार राज्य से जनपद अलीगढ हेतु परिवहन किये जा रहे अवैध गांजे की खेप की गयी बरामद

▶ थाना नौगढ़ पुलिस द्वारा 01 स्कार्पियो वाहन से परिवहन किये जा रहे कुल 54.580 किग्रा0 अवैध गांजा बरामद करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लाग्हें द्वारा अवैध मादक पदार्थ/शराब के परिवहन व बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने व तस्करी में सलिंप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी नौगढ़ कृष्ण मुरारी शर्मा के कुशल मार्गदर्शन/पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष नौगढ़ के कुशल नेतृत्व में थाना नौगढ़ पुलिस टीम द्वारा दिनांक 15.12.2024 को समय 21.00 बजे रात्रि चेकिंग दौरान बसौली नगर के पास से 01 स्कार्पियो वाहन में से कुल 03 बोरी (कुल 54 किलो 580 ग्राम) अवैध गांजा के साथ 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
उक्त बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना नौगढ़ पर मु0अ0स0 117/2024 धारा 8/20/60 NDPS Act पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस कार्यवाही का विवरण- दिनाँक 15.12.2024 को थाना नौगढ पुलिस द्वारा मझगायी मोड़ पर संदिग्ध वाहन व व्यक्ति की चेकिंग कर रहे थे तभी थाना नौगढ़ की तरफ से एक चार पहिया वाहन रोशनी में आता हुआ दिखायी दिया। जिसे टार्च की रोशनी से रूकने हेतु इशारा किया गया तो उक्त वाहन थाना पुलिस टीम से कुछ दूर पहले ही गाडी रोककर तुरंत यू टर्न लेकर नौगढ़ की तरफ भागने लगा सन्देह होने पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल अपनी गाडी से उक्त वाहन का पीछा किया गया। पुलिस वालो द्वारा पीछा करने पर उक्त वाहन हड़बड़ी में बसौली नहर से पहले मोड़ पर रोड के नीचे उतर गया और बैक करके चढ़ाने का प्रयास किये तब तक मौजूदा पुलिस टीम द्वारा एक बारगी घेरबन्दी कर दो अभियुक्त को उक्त वाहन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वाहन की तलाशी के दौरान 54.580 किग्रा0 अवैध गांजा बरामद किया गया।

पूछताछ विवरण अभियुक्तगण–
गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोग बिहार प्रान्त से कम दामों पर गांजा खरीदते है और उसको लेकर जाकर अलीगढ, मथुरा व राजस्थान में उँचे दामों पर बेच देते है। जिससे हम लोगों को ज्यादा फायदा होता है। हम लोगो का गिरोह है। हम लोग अपने भौतिक, आर्थिक लाभ के लिये अपने तथा अपने गिरोह के सदस्यों के लिये करते है।

अभियुक्त जयप्रकाश द्वारा बताया गया कि वह अपने साथियों के साथ दिनांक 24.09.24 को 85 किलो 220 ग्राम गांजा बोलरो पिकअप से ले जा रहा था। पुलिस द्वारा घेराबन्दी की गयी तो वह फरार हो गया था और उसके दो साथी पकडे गये थे।

पंजीकृत मुकदमा का विवरण –
मु0अ0स0 117/2024 धारा 8/20/60 NDPS Act थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-
1-जयप्रकाश पुत्र कन्हैया राम नि0 ग्राम अमरपुरधाना थाना इगलास जनपद अलीगढ उम्र 27 वर्ष
2-हरेन्द्र कुमार पुत्र कृपाल सिंह नि0 नालाकुंठा थाना मुडसान जनपद हाथरस उम्र 26 वर्ष।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त जयप्रकाश-
1.मु0अ0सं0 93/2024 धारा 8/20/60 NDPS Act थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली
2.मु0अ0स0 369/21 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना इगलास जनपद अलीगढ
3.मु0अ0स0 473/20 धारा 380/411/457 भादवि थाना इगलास जनपद अलीगढ

4.मु0अ0स0 475/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इगलास जनपद अलीगढ

5.मु0अ0स0 507/22 धारा 8/20 NDPS Act थाना बृन्दाबन जनपद मथुरा

6.मु0अ0सं0 530/20 धारा 380/411 भादवि थाना बीटा 2 जनपद गैतमबुध्द नगर

बरामदगी–

1.कुल 54 किलो 580 ग्राम नाजायज गांजा व अभियुक्तगण की जामा तलाशी से दो मोबाइल।

2.एक स्कार्पियो वाहन 81 BD 2826 (घटना मे प्रयुक्त)

गिरफ्तारी /बरामदगी करने वाली टीम-

1.थानाध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली।

2.उ0नि0 अमित सिंह चौकी प्रभारी चन्द्रप्रभा थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली।

3.हे0का0 अमित कुमार यादव थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली।

4.का0 संदीप यादव थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली।

5.का0 मो0 गुफरान थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली।

6.का0 सतीश यादव थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली।